नोएडा विशेष आर्थिक क्षेत्र

डॉ. एल बी सिंघल, विकास आयुक्त, नोएडा विशेष आर्थिक क्षेत्र की अध्यक्षता में दिनांक 01.11.2018 को पूर्वाह्न 11.00 बजे सम्मेलन हॉल, नोएडा विशेष आर्थिक क्षेत्र, नोएडा में आयोजित नोएडा, ग्रेटर नोएडा एवं खुर्जा (उत्तर प्रदेश) में स्थित निजी विशेष आर्थिक क्षेत्रों की अनुमोदन समिति बैठक का कार्यवृत्त

बैठक के दौरान अनुमोदन समिति के निम्नलिखित सदस्य उपस्थित थेः–

(i) श्री एस.एस. शुक्ला, संयुक्त विकास आयुक्त, एनएसईजेड।

(ii) श्री राजेश शर्मा, सहायक आयुक्त (सीमा शुल्क), नोएडा।

(iii) सुश्री कोकिल पांडे, सहायक आयुक्त, सीजीएसटी, नोएडा–।

(iv) श्री एस.के. श्रीवास्तव, सहायक आयुक्त, सीजीएसटी, नोएडा– ।।

(v) श्री आर.एल. मीणा, सहायक डीजीएफटी, नई दिल्ली

(vi) श्री विनीत अग्रवाल, ए.ई. खुर्जा विकास प्राधिकरण

(vii) श्री एस. झा, जीएनआईडीए के प्रतिनिधि, ग्रेटर नोएडा

(viii) संबंधित एसईजेड विकासकर्ताओं के प्रतिनिधि, विशेष अतिथि

- इसके अलावा, अनुमोदन समिति की सहायता हेतु बैठक के दौरान i) श्री राजेश कुमार, डीडीसी, ii) मो. सालिक परवेज़, निर्दिष्ट अधिकारी, iii) श्री मोहन वीर रुहेला, एडीसी और iv) श्री प्रकाश चंद्र उपाध्याय, एडीसी भी उपस्थित थे।

- बैठक की शुरुआत में अध्यक्ष ने प्रतिभागियों का स्वागत किया। संक्षिप्त परिचय देने के बाद एजेंडे में शामिल मुद्दों पर एक– एक कर चर्चा की गई। अनुमोदन समिति के सदस्यों के साथ– साथ विकासकर्ता/ इकाईयों के आवेदकों/ प्रतिनिधियों के साथ विस्तृत चर्चा के बाद, निम्नलिखित फैसले लिए गएः–

1. 08.10.2018 को आयोजित हुई अनुमोदन समिति की पिछली बैठक के कार्यवृत्तों की पुष्टिः*

अनुमोदन समिति को सूचित किया गया था कि 08.10.2018 को आयोजित की गई अनुमोदन समिति के बैठक में किए गए फैसलों के खिलाफ अनुमोदन समिति या व्यापार के किसी भी सदस्य द्वारा कोई संदर्भ

प्राप्त नहीं हुआ था और इसलिए, 08.10.2018 को आयोजित की गई बैठक के कार्यवृत्तों की पुष्टि की जाती है।

02. प्लॉट सं 08, सेक्टर–144, नोएडा (उत्तर प्रदेश) स्थित मेसर्स गोल्डन टावर इंफ्राटेक प्रा. लिमि. के आईटी/आईटीईएस एसईजेड में इकाई स्थापित करने के लिए मेसर्स इंटेलिग्रैप सॉफ्टवेयर प्राइवेट लिमिटेड का प्रस्ताव

अनुमोदन समिति के संज्ञान में लाया गया था कि मेसर्स इंटेलिग्रैप सॉफ्टवेयर प्राइवेट लिमिटेड ने 50000 वर्गफुट (4645 वर्गमीटर) क्षेत्र पर इकाई स्थापित करने हेतु प्रस्ताव प्रस्तुत किया है। प्रस्ताव में प्लॉट सं 08, सेक्टर–144, नोएडा (उत्तर प्रदेश) स्थित मेसर्स गोल्डन टावर इंफ्राटेक प्रा. लिमि. के आईटी/ आईटीईएस एसईजेड में पांच वर्षों की अवधि में 54431 लाख रुपये के अनुमानित निर्यात और 51731 लाख रुपये के संचयी एनएफई के साथ भवन सं 1 के विंग– ए के प्रथम तल पर 30450 वर्गफुट और भवन सं 1 के विंग– बी के प्रथम तल पर 19550 वर्गफुट क्षेत्र पर "सूचना प्रौद्योगिकी एवं सूचना प्रौद्योगिकी सक्षम सेवाएं अर्थात डिजिटल परिवर्तन, प्रोडक्ट इंजीनियरिंग, एक्सपीरियंस डिजाइन, वीडियो ओटीटी फुलफिलमेंट, डिजिटल मार्केटिंग, क्लाउड मैनेज्ड सर्विसेस, डाटा इंजीनियरिंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड मशीन लर्निंग एंड क्लाउड माइग्रेशन" नाम से सेवा गतिविधि संचालित करने की अनुमति मांगी गई है। यह भी सूचित किया गया था कि आवेदक ने स्वदेशी पूंजीगत वस्तुओं में निवेश हेतु 2185 लाख रुपये का प्रस्ताव दिया है और परियोजना संबंधी अन्य खर्चे सावधि ऋण/ आंतरिक संभूति/ सेवाओं के लिए लिए गए अग्रिम से पूरे किए जाएंगे। अनुमोदन समिति को सूचित किया गया था कि आवदेक ने प्रस्तावित स्थल के आवंटन हेतु विकासकर्ता मेसर्स गोल्डन टावर इंफ्राटेक प्रा. लिमि., द्वारा दिनांक 10.10.2018 को जारी किए गए अनंतिम प्रस्ताव की प्रति भी प्रस्तुत की है। हालांकि, यह भी सूचित किया गया था कि प्रस्तावित भवन अर्थात भवन संख्या 1 के संदर्भ में व्यावसायिक प्रमाणपत्र एसईजेड विकासकर्ता द्वारा प्राप्त नहीं किया गया है।

2.1 इसके अलावा, सूचित किया गया था कि निम्नलिखित दस्तावेज/ सूचना प्रस्तुत किए जाने की आवश्यकता है, इस बारे में आवेदक को भी सूचित किया गया है–

(i) परियोजना रिपोर्ट में उल्लिखित प्रस्तावित सेवा गतिविधियों का उल्लेख प्रपत्र– एफ के पारा–V में करने की आवश्यकता है। इसके अलावा, पारा– V में सेवा इकाई के लिए अनावश्यक क्षमता/ इकाईयों के बारे में भी बताया जाना है।

(ii) करीब 50000 वर्गफुट (4645 वर्गमीटर) के सुपर एरिया जिसमें भवन सं 1 के विंग– ए के प्रथम तल पर 30450 वर्गफुट और भवन सं 1 के विंग– बी के प्रथम तल पर 19550 वर्गफुट क्षेत्र शामिल है,

के विकासकर्ता मेसर्स गोल्डन टावर इंफ्राटेक प्रा. लिमि. द्वारा दिनांक 10.10.2018 को स्थान का अनंतिम प्रस्ताव जारी किया गया था, जबकि आवेदक ने प्रपत्र– एफ के पारा – VII(2) में 3450 वर्गमीटर (37135 वर्ग फुट) बिल्ट– अप क्षेत्र की आवश्यकता का उल्लेख किया है।

(iii) प्रपत्र– एफ के पारा VI में मान 'लाख रुपये में' की बजाए 'रुपये' में बताए जाने की आवश्यकता है।

(iv) प्रपत्र– एफ के वचन के समर्थन में शपथ पत्र (विधिवत नोटरीकृत) प्रस्तुत नहीं किया गया है।

(v) दोनों ही निदेशकों के पैन कार्ड की प्रति जमा कराए जाने की आवश्यकता है।

(vi) परियोजना रिपोर्ट के अनुलग्नक–2 और अनुलग्नक–3 में एनएफई 54432 लाख रु. दिया गया है जबकि प्रपत्र– एफ में यह 51731 लाख रु. बताया गया है। इसे सुधारने और स्पष्ट करने की आवश्यकता है।

(vii) स्वदेशी पूंजीगत वस्तुओं की सूची प्रस्तुत करने की आवश्यकता है।

(viii) कंपनी के वर्तमान शेयरहोल्डिंग पैटर्न का सीए प्रमाणित विवरण प्रस्तुत करने की आवश्यकता है।

(ix) पर्यावरण एवं प्रदूषण नियंत्रण मानकों को पूरा करने संबंधी वचन पत्र प्रस्तुत करने की आवश्यकता है।

(x) निर्धारित प्रारूप में आयकर विवरण प्रस्तुत करने की आवश्यकता है।

(xi) प्रपत्र 32 / आर/ओ में डीआईआर 12 में प्रथम निदेशकों श्री पुनीत जौहर एवं सुश्री जोया चौधरी के सेवा समाप्त किए जाने संबंधी विवरण प्रस्तुत किया जा सकता है।

2.2 श्री दीपक मित्तल, निदेशक, श्री अनुराग मित्तल एवं श्री संजय जैन आवेदक इकाई की तरफ से अनुमोदन समिति के समक्ष प्रस्तुत हुए और प्रस्ताव के बारे में विस्तार से बताया। एसईजेड विकासकर्ता मेसर्स गोल्डन टावर इंफ्राटेक प्रा. लिमि. की तरफ से श्री अमोल गुप्ता, वीपी, भी अनुमोदन समिति के समक्ष प्रस्तुत हुए। विकासकर्ता के प्रतिनिधि ने अनुमोदन समिति को बताया कि भवन सं. 1 के निर्माण का कार्य लगभग पूरा हो चुका है और इस भवन का अधियोग प्रमाणपत्र 15 नवंबर 2018 तक मिल जाने की संभावना है। वर्ष 2017-18 के लिए लेखापरीक्षित बैलेंस शीट में उल्लिखित 3733.53 लाख रुपयों के संचित घाटे एवं कंपनी के निवल मूल्य में कमी के बारे में पूछे जाने पर, आवेदक के प्रतिनिधि ने बताया कि कथित घाटा कंपनी की अन्य सहयोगी कंपनी का है जिसका इस कंपनी में विलय किया गया था

जिसके कारण यह घाटा हुआ और देनदारियां इस कंपनी का हिस्सा बन गई। उन्होंने यह भी बताया कि इस घाटे का प्रस्तावित एसई2 इकाई परियोजना पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। उन्होंने यह भी बताया कि यह निवेश नया निवेश होगा।

2.3 पर्याप्त चर्चाओं के बाद, अनुमोदन समिति ने प्रस्तावित "सूचना प्रौद्योगिकी एवं सूचना प्रौद्योगिकी सक्षम सेवाएं अर्थात डिजिटल परिवर्तन, प्रोडक्ट इंजीनियरिंग, एक्सपीरियंस डिजाइन, वीडियो ओटीटी फुलफिलमेंट, डिजिटल मार्केटिंग, क्लाउड मैनेज्ड सर्विसेस, डाटा इंजीनियरिंग, आर्टिफिशल इंटेलिजेंस एवं मशीन लर्निंग एवं क्लाउड माइग्रेशन" सेवाओं को शुरु करने की मंजूरी दे दी। यह मंजूरी आवेदक इकाई द्वारा आवश्यक दस्तावेजों को जमा कराने और इस शर्त के अधीन होगी कि इकाई एसईजेड विकासकर्ता द्वारा भवन सं 01 के संदर्भ में अधियोग प्रमाणपत्र प्राप्त करने के बाद ही भवन सं 1 के विंग– ए के प्रथम तल और भवन सं 1 के विंग– बी के प्रथम तल पर काम करना शुरु करेगी। अनुमोदन समिति ने इकाई एवं एसईजेड विकासकर्ता को भवन सं 1 में फिट–आउट/ आंतरिक साज–सज्जा कार्य करने के दौरान राज्य भवन उप–नियमों का अपेक्षित अनुपालन करने का भी निर्देश दिया।

<u>03. प्लॉट सं टीजेड02 एवं 2ए, टेकजोन, ग्रेटर नोएडा स्थित विकासकर्ता मेसर्स एनआईआईटी टेक्नोलॉजिज लिमि. के आईटी/आईटीईएस एसईजेड में अधिकृत संचालन जारी रखने के लिए सामग्रियों की सूची के अनुमोदन हेतु प्रस्ताव</u>

अनुमोदन समिति के संज्ञान में लाया गया था कि प्लॉट सं टीजेड02 एवं 2ए, टेकजोन, ग्रेटर नोएडा में आईटी/आईटीईएस एसईजेड के विकासकर्ता मेसर्स एनआईआईटी टेक्नोलॉजिज लिमिटेड ने अपने एसईजेड में निम्नलिखित डिफॉल्ट अधिकृत संचालनों को जारी रखने के लिए सामग्रियों की सूची की मंजूरी हेतु प्रस्ताव प्रस्तुत किया है।

क्र. सं	अधिकृत संचालनों के नाम	डिफॉल्ट अधि. संचाल. हेतु क्रम. सं निर्देश 50 और 54 के अनुसार	अनुमानित लागत (लाख रु. में)
(I)	इकाई अनुमोदन समिति द्वारा मिली मंजूरी के अनुसार प्रसंस्करण क्षेत्र में सभी प्रकार के भवनों का निर्माण	22	131.58
(II).	उचित क्षमता वाले अनिवार्य सब–स्टेशंस, पाइपलाइन नेटवर्क आदि समेत बिजली, गैस एवं पेट्रोलियम प्राकृतिक गैस वितरण नेटवर्क	04	91.60
(III)	स्प्रिंकलर्स, आग एव धुआं डिटेक्टर के साथ अग्नि सुरक्षा प्रणाली	07	9.90

(IV)	प्रसंस्करण क्षेत्र का वातानुकूलन	21	47.00
(V).	पहुंच नियंत्रण एवं निगरानी प्रणाली	24	6.00
(VI)	प्रसंस्करण क्षेत्र में कर्मचारियों के लिए कैफेटेरिया/ कैंटीन	27	2.75
		कुल:	288.83

3.1 विकासकर्ता की तरफ से अनुमोदन समिति के समक्ष श्री देवेन्द्र गुप्ता, वरिष्ठ वी.पी. और श्री मुकेश चौहान, ग्रुप मैनेजर प्रस्तुत हुए और प्रस्तावित सामग्रियों की आवश्यकता के बारे में बताया।

3.2 पर्याप्त चर्चा के बाद, अनुमोदन समिति ने क्र. सं. 3 एवं 39 के तहत अधिकृत संचालन अर्थात "उचित क्षमता वाले अनिवार्य सब- स्टेशनों, पाइपलाइन नेटवर्क आदि समेत बिजली, गैस एवं पेट्रोलियम प्राकृतिक गैस वितरण नेटवर्क" (अनुलग्नक- II) और अधिकृत संचालन के तहत क्र. सं. 1 अर्थात "प्रसंस्करण क्षेत्र में कर्मचारियों के लिए कैफेटेरिया/ कैंटीन" (अनुलग्नक- VI) में प्रस्तावित 'हाई एंड डिश वाशर' और 'वाशिंग मशीन/ कटर मशीन' को छोड़ कर सामग्रियों की प्रस्तावित सूची को मंजूरी दे दी।

04. प्लॉट सं. 21, सेक्टर- टेकजोन- IV, ग्रेटर नोएडा स्थित मेसर्स अर्थ इंफ्राटेक प्रा. लिमि. के आईटी/ आईटीईएस एसईजेड में अधिकृत संचालन जारी रखने हेतु सह- विकासकर्ता मेसर्स ड्रूस्टोन वेगमैन्स डेवलपर्स प्रा. लिमि. का सामग्रियों की सूची पर मंजूरी हेतु प्रस्ताव।

अनुमोदन समिति के संज्ञान में लाया गया था कि प्लॉट सं. 21, सेक्टर- टेकजोन- IV, ग्रेटर नोएडा स्थित मेसर्स अर्थ इंफ्राटेक प्रा. लिमि. के आईटी/ आईटीईएस एसईजेड समेत इलेक्ट्रॉनिक्स हार्डवेयर एवं सॉफ्टवेयर के सह- निर्माता मेसर्स ड्रूस्टोन वेगमैन्स डेवलपर्स प्राइवेट लिमि. ने निम्नलिखित डिफॉल्ट अधिकृत संचालनों को जारी रखने हेतु सामग्रियों की सूची पर मंजूरी प्राप्त करने के लिए प्रस्ताव प्रस्तुत किया है:-

क्र. स.	अधिकृत संचालनों के नाम	निर्देश सं. 50 और 54 के अनुसार सामग्रियों की डिफॉल्ट सूची में क्र. सं.	अनुमानित लागत (लाख रु. में)
(i)	इकाई अनुमोदन समिति द्वारा मिली मंजूरी के अनुसार प्रसंस्करण क्षेत्र में सभी प्रकार के भवनों का निर्माण	22	27.50
(II)	उचित क्षमता वाले अनिवार्य सब-स्टेशनों, पाइपलाइन नेटवर्क आदि समेत बिजली, गैस एवं पेट्रोलियम प्राकृतिक गैस वितरण नेटवर्क	……. 04	16.00

(iii)	प्रसंस्करण क्षेत्र में वातानुकूलन	21	16.60
(IV)	जल उपचार संयंत्र, जल आपूर्ति लाइनें (स्रोत तक समर्पित लाइनें), सीवेज लाइनें, वर्षा जल निकासी, एवं उचित क्षमता वाले जल चैनल	02	4.40
		कुल:	**64.50**

4.1 सह- विकासकर्ता की तरफ से अनुमोदन समिति के समक्ष सीएमडी श्री एस.के. गुप्ता, निदेशक श्री सुदीप गुप्ता और वरिष्ठ प्रबंधक श्री राजीव बघेल उपस्थित हुए और प्रस्तावित सामग्रियों की आवश्यकता के बारे में विस्तार से बताया।

4.2: पर्याप्त चर्चाओं के बाद, अनुमोदन समिति ने सामग्रियों की प्रस्तावित सूची को **मंजूरी** दे दी।

05. विकासकर्ता मेसर्स एचसीएल टेक्नोलॉजिज लिमि. द्वारा प्लॉट सं. 3ए, 3बी एवं 2सी, सेक्टर-126, नोएडा स्थित अपने आईटी/आईटीईएस एसईजेड में अधिकृत संचालनों को जारी रखने के लिए सामग्रियों की सूची की मंजूरी हेतु प्रस्ताव।

अनुमोदन समिति के संज्ञान में लाया गया था कि विकासकर्ता मेसर्स एचसीएल टेक्नोलॉजिज लिमि. द्वारा प्लॉट सं. 3ए, 3बी एवं 2सी, सेक्टर-126, नोएडा स्थित अपने एसईजेड में निम्नलिखित डिफॉल्ट अधिकृत संचालनों को जारी रखने के लिए सामग्रियों की सूची की मंजूरी हेतु प्रस्ताव प्रस्तुत किया है-

क्र. सं.	अधिकृत संचालनों के नाम	निर्देश सं. 50 और 54 के अनुसार सामग्रियों की डिफॉल्ट सूची में क्र. सं.	अनुमानित लागत (लाख रु. में)
(i)	यूएसी द्वारा दी गई मंजूरी के अनुसार प्रसंस्करण क्षेत्र में सभी प्रकार के भवन का निर्माण	22	251.69
(ii)	बिजली (पावर बैकअप सुविधा समेत) सिर्फ सिमित प्रयोग हेतु।	23	204.01
(iii)	प्रसंस्करण क्षेत्र का वातानुकूलन	21	507.82
(fV)	इंटरनेट कनेक्टिविटी समेत दूरसंचार एवं अन्य संचार सुविधाएं	05	28.48
(v)	प्रसंस्करण क्षेत्र में कर्मचारियों के लिए कैफेटेरिया/ कैंटीन	27	10.26
(vi)	स्प्रिंकलर्स, आग एवं धुआं डिटेक्टर्स के साथ अग्नि सुरक्षा प्रणाली।	07	2.28 i

(vii)	जल उपचार सयंत्र, जल आपूर्ति लाइनें (स्रोत तक समर्पित लाइनें), सीवेज लाइनें, वर्षा जल निकासी, एव उचित क्षमता वाले जल चैनल	02	22,,
		कुल:	1026.95

5.1 विकासकर्ता की तरफ से परियोजना निदेशक श्री रोहित अनेजा, महाप्रबंधक– वाणिज्य श्री डी. के. शर्मा और उप प्रबंधक श्री सुभाष चंद्रा अनुमोदन समिति के समक्ष प्रस्तुत हुए और प्रस्तावित वस्तुओं की आवश्यकता के बारे में बताया।

5.2 पर्याप्त चर्चाओं के बाद अनुमोदन समिति ने 'प्रसंस्करण क्षेत्र में कर्मचारियों के लिए कैफेटेरिया/ कैंटीन' (अनुलग्नक– V) नाम से अधिकृत संचालन के तहत क्रमशः क्र. सं. 9,10 और 11 में प्रस्तावित 'डिशवाशर बास्केट', 'डिशवाशर रिबन' एवं 'डिशवाशर एलिमेंट' को छोड़ कर सूची में प्रस्तावित सभी सामग्रियों पर अपनी मंजूरी दे दी।

<u>6. प्लॉट सं. 20 और 21, सेक्टर-135, नोएडा (उ.प्र.) स्थित आईटी/आईटीईएस एसईजेड के प्रसंस्करण क्षेत्र में डीबीएस बैंक का 'बैंकिंग एवं एटीएम सुविधा' स्थापित करने एवं संचालित करने के लिए मेसर्स यूरोनेट सर्विसेस इंडिया प्रा. लिमि. को स्थान आवंटित करने हेतु विकासकर्ता मेसर्स सीव्यू डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड का प्रस्ताव</u>

अनुमोदन समिति के संज्ञान में लाया गया था कि विकासकर्ता मेसर्स सीव्यू डेवलपर्स प्रा. लिमि. ने बीओए द्वारा अनुमोदित 'शॉपिंग आर्केट और/या रीटेल स्पेस' श्रेणी के तहत डीबीएस बैंक की 'बैंकिंग एवं एटीएम सुविधा' स्थापित एवं संचालित करने हेतु मेसर्स यूरोनेट सर्विसेस इंडिया प्रा. लिमि. को पट्टे पर प्लॉट सं. 20 और 21, सेक्टर-135, नोएडा (उ.प्र.) स्थित आईटी/आईटीईएस एसईजेड के प्रसंस्करण क्षेत्र में एमिनिटी ब्लॉक–।। के भूतल पर कियोस्क सं. 2 में 250 वर्ग फुट (23.23 वर्ग मीटर) बिल्ट– अप स्थान आवंटित करने हेतु प्रस्ताव प्रस्तुत किया है।

6.1: यह सूचित किया गया था कि विकासकर्ता ने बीओए द्वारा अनुमोदित ऐसी गतिविधियों का क्षेत्रवार विवरण प्रस्तुत किया था, ऐसी गतिविधियों के लिए आवंटन हेतु अनुमोदन समिति द्वारा दी गई मंजूरी का क्षेत्रवार विवरण एवं बैलेंस क्षेत्र नीचे दिया गया है–

क्र. सं.	प्रसंस्करण क्षेत्र में बीओए द्वारा मंजूर गतिविधियां	बीओए द्वारा मंजूर क्षेत्र	सुविधा प्रदाताओं को स्थान आवंटन हेतु अनुमोदन समिति द्वारा मंजूर कुल क्षेत्र	बैलेंस क्षेत्र
(i)	खाद्य सेवाएं जिसमें कैफेटेरिया, फूड कोर्ट, रेस्त्रां, कॉफी की दुकान, कैंटीन एवं कैटरिंग सुविधा शामिल है	3000 वर्गमीटर	1659.64 वर्गमीटर	1340.36 वर्गमीटर
(ii)	कर्मचारी कल्याण सुविधाएं जैसे क्रेच, चिकित्सा केंद्र	1000 वर्गमीटर	406.54 वर्गमीटर	593.54 वर्गमीटर
(iii)	शॉपिंग आर्केड/ रीटेल स्पेस	950 वर्गमीटर	398.36 वर्गमीटर	551.64 वर्गमीटर

6.2 विकासकर्ता की तरफ से श्री जय कुमार, हेड– एसईजेड कम्प्लायंस एवं श्री अमरीक सिंह, एजीएम– एसईजेड कम्प्लायंस अनुमोदन समिति के समक्ष प्रस्तुत हुए और प्रस्ताव के बारे में बताया।

6.3: पर्याप्त चर्चाओं के बाद अनुमोदन समिति ने बीओए द्वारा मंजूर 'शॉपिंग आर्केड/ रीटेल स्पेस' श्रेणी के तहत प्रस्ताव को मंजूरी दे दी। यह मंजूरी मेसर्स यूरोनेट सर्विसेस इंडिया प्रा. लिमि. को एसईजेड के प्रसंस्करण क्षेत्र में इस प्रकार की सुविधा स्थापित करने, संचालित करने और उसके रख– रखाव पर किसी प्रकार के कर/ शुल्क में छूट का लाभ न दिए जाने की शर्त के विषयाधीन है और इस सुविधा का प्रयोग एसईजेड के कर्मचारियों एवं उसमें स्थित इकाईयों द्वारा ही किया जाएगा।

<u>07. प्लॉट सं. 20 और 21, सेक्टर-135, नोएडा (उत्तर प्रदेश) स्थित मेसर्स सीव्यू डेवलपर्स प्रा. लिमि. के आईटी/आईटीईएस एसईजेड स्थित एसईजेड की दो इकाईयों के विलय हेतु मेसर्स एसटेरिया (इंडिया) लिमि. का प्रस्ताव</u>

अनुमोदन समिति के संज्ञान में लाया गया था कि मेसर्स एसटेरिया (इंडिया) लिमि. ने दिनांक 04.10.2018 को लिखे अपने पत्र के माध्यम से दिनांक 15.2.2016 के एलओए सं. 10/02/2016-SEZ/1603 का वियल दिनांक 25.11.2010 के एलओए सं. STP-N/SEZ/10-11/001/235 के साथ करने हेतु प्रस्ताव प्रस्तुत किया है। दोनों ही इकाईयों का विवरण इस प्रकार है–

एलओए स. एव दिनांक	दिनांक 25.11.2010 के एलओए सं. STP-N/SEZ/10-11/001/235	दिनांक 15.2.2016 के एलओए स. 10/02/2016-SEZ/1603
स्थान	भूतल से चौथा (4), छठा (6) एव	पंचम (5) एव सातवा (7) तल, भवन स. 4

	आठवा (8) तल, भवन स. 4	एव ग्यारहवा (11) तल भवन स. 9
बॉन्ड– सह– एलयूटी कार्यान्वित/ स्वीकृत	हाँ	हाँ। हालाकि, दिनाक 03.10.2018 को लिखे इस कार्यालय पत्र के सदर्भ में सशोधित बीएलयूटी (क्षेत्र का पजीकृत विस्तार एव आयामों में सशोधन) प्रतिक्षित है।
उत्पादन शुरु होने की तिथि	31 08.2011	30.04.201
एलओए तक वैध है	30.08.2021	29.04.2021
मजूर अधिकृत सचालन	आईटी एव आईटी सक्षम सेवाए	कम्प्यूटर सॉफ्टवेयर सेवाए जिसमें सूचना सक्षम सेवाए जैसे कटेंट सॉफ्टवेयर डेवलपर, डाटा प्रोसेसिग, इजीनियरिग एव डिजाइन, बैक ऑफिस ऑपरेशस शामिल है।
स्वीकृत अनुमान (पाच वर्षों के लिए) (i) निर्यात का एफओबी मान (ii) विदेशी मुद्रा व्यय (iii) एनएफई (1-2) (iV) आयातित सीजी (V) स्वदेशी सीजी	(लाख रुपये में) 168255.00 27513.00 140742.00 7076.00 18567.00	(लाख रुपये में) 65325.20 6295.53 59029.67 1800.00 1000.00
रोजगार (अनुमान)	2401	1415

7.1 सूचित किया गया था कि ईकाई ने उपरोक्त दो इकाईयों के एकीकरण/ विलय के निम्नलिखित कारण बताए हैं–

(i) एकल एसईजेड इकाई कारोबारी दृष्टिकोण से सचालन क्षमता को बढाएगी

(ii) दोनों ही एसईजेड इकाईयों को, अपनी शुरुआत से ही आयकर लाभ नहीं मिल रहा था, इसलिए प्रस्तावित एकल इकाई आयकर लाभ की पात्र नहीं होगी इसलिए प्रस्तावित विलय से भारत सरकार को राजस्व का घाटा नहीं होगा।

(iii) एसईजेड इकाईयों के इस प्रस्तावित एकीकरण/ विलय के कारण राजस्व एवं शुद्ध विदेशी मुद्रा विनिमय पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा।

7.2 यह भी बताया गया कि एसईजेड नियम, 2006 के नियम 19(2) के प्रावधान 4 के अनुसार (दिनांक 19.09.2018 को अधिसूचना संख्या जीएसआर 909(ई) के अनुसार) निम्नलिखित प्रदान करता हैः–

"सुविधा देता है कि अनुमोदन समिति एक ही कंपनी या फर्म की दो या दो से अधिक इकाईयों के विलय के प्रस्ताव को मंजूर कर सकती है बशर्ते ये इकाईयां एक ही विशेष आर्थिक क्षेत्र में आती हों और विलय के बाद, शुद्ध विदेशी मुद्रा की गणना की ब्लॉक अवधि पहले शुरु हुई इकाई द्वारा उत्पादन शुरु करने की तारीख से हो और आयकर में छूट पर विचार पहली इकाई द्वारा काम शुरु करने की तारीख से किया जाएगा।"

7.3 इसके अलावा, यह बताया गया था कि वर्तमान मामले में मेसर्स एसटेरिया (इंडिया) लिमि. जिनके पास दिनांक 25.11.2010 की एलओए सं. STP-N/SEZ/10-11/001/235 है, पहले काम करना शुरु किया था। यह 31.08.2011 से काम करना शुरु कर चुका था और कथित एलओए को 5 वर्षों के दूसरे ब्लॉक अर्थात 30.8.2021 तक के लिए नवीकृत किया गया था। इसके अलावा, इकाई ने सूचित किया कि दोनों ही इकाईयां अपनी शुरूआत से ही आयकर लाभ नहीं उठा रही हैं।

7.4. यह सूचित किया गया था कि इकाई से निम्नलिखित जानकारी प्राप्त की जानी है–

(i) विलय की जाने वाली इकाई के लिए अधिकृत संचालन को बनाए रखा जाएगा।

(ii) विलय की जाने वाली इकाई का निर्यात/एनएफई अनुमान अर्थात दोनों इकाईयों की वर्तमान स्वीकृत अनुमान विलय माना जाएगा या नहीं।

(iii) पहले से ही विलय की जा चुकी इकाई द्वारा किए गए 2468.11 लाख रु. का डीटीए बिक्री का विवरण दिए जाने की आवश्यकता है और यह बताए जाने की आवश्यकता है कि क्या इन डीटीए बिक्रियों के संदर्भ में भुगतान भारतीय रुपये में लिए गए या मुक्त विदेशी मुद्रा में।

7.5 यह भी बताया गया कि एसईजेड की दो इकाईयां अर्थात मेसर्स एसटेरिया (इंडिया) लिमि. (इकाई–II) जिनके पास दिनांक 25.11 2010 (DCP-31.03 2011) का एलओए सं. STP-N/SEZ/10-

11/002/236 और मेसर्स एसटेरिया (इण्डिया) लिमि. (इकाई– III) जिनके पास दिनांक 25.11.2010 (DOP-31.08.2011) का एलओए सं0 STP-N/SEZ/10-11/003/234 है, का विलय; दिनांक 25.11.2010 (इकाई–I) में एलओए सं0 STP-N/SEZ/10-11/ 001/235 के साथ हो चुका है। यह विलय दिनांक 05.09.2017 को पत्र सं0 F.2/4/2017-SEZ के माध्यम से डीओसी द्वारा प्राप्त मंजूरी के अनुसार किया गया था। यह बताया गया कि इकाई– I के साथ इकाई– II और इकाई– III के विलय की मंजूरी देते समय, डीओसी ने उल्लेख किया था कि इन तीनों इकाईयों का विलय इस शर्त के अधीन है कि आयकर में लाभ सिर्फ सबसे पुरानी इकाई को ही मिलेगा। जैसा कि इकाई ने सूचित किया, इकाई–I अपने शुरुआत से ही आयकर लाभ नहीं उठा रही थी। तदनुसार इस कार्यालय ने इकाई के सक्षम अधिकारी को दिनांक 26.10.2017 को पत्र लिखकर वियल मंजूर किए जाने संबंधी जानकारी भेजी जिसमें यह शर्त लिखी थी कि आयकर अधिनियम 1961 की धारा 10 एए के तहत विलय की गई एसईजेड इकाई से होने वाली आमदनी पर आयकर लाभ नहीं दिया जाएगा। हालांकि, एनएफई/डीसीपी की गणना के संबंध में ऐसी किसी शर्त का उल्लेख नहीं किया गया था। अनुमोदन समिति को सूचित किया गया कि डीसीपी के संदर्भ में इकाई–II सबसे पुरानी इकाई है जो 31.03.2011 से काम कर रही है इसलिए अनुमोदन समिति पहले से विलय की जा चुकी इकाई की प्रयोज्यता के संदर्भ में डीसीपी पर गौर कर सकती है।

अनुमोदन समिति ने स्पष्ट किया कि चूंकि इकाई –II, दिनांक 25.11.2010 और एलओए सं0 STP-N/SEZ/10- 11/002/236 के साथ डीसीपी के अनुसार सबसे पुरानी इकाई है और इसने 31.03.2011 से काम करना शुरु कर दिया था, इसलिए विलय की गई इकाई की पहली ब्लॉक अवधि की गणना अर्थात दिनांक 25.11.2010 (इकाई –I) एलओए सं0 STP-N/SEZ/10-11/001/235 की गणना 31.03.2011 से 30 03.2016 तक और दूसरी ब्लॉक अवधि 31.03.2016 से 30.03 2021 तक की जा सकती है।

7.6 इकाई की तरफ से सुश्री वंदना अरुण, निदेशक– विधि एवं श्री दीपक रावत, एजीएम– कम्प्लायंस, अनुमोदन समिति के समक्ष प्रस्तुत हुए और प्रस्ताव के बारे में बताया। इकाई के प्रतिनिधि ने बताया कि डीटीए के तहत दी गई सभी सेवाओं का भुगतान मुक्त विदेशी मुद्रा में प्राप्त किया गया है।

7.7 पर्याप्त चर्चाओं के बाद अनुमोदन समिति ने एसईजेड नियम, 2006 के नियम 19(2) के प्रावधान 4 के अनुसार प्रस्ताव को मंजूरी दे दी, यह शुद्ध विदेशी मुद्रा की गणना हेतु ब्लॉक अवधि प्रथम इकाई द्वारा उत्पादन शुरु किए जाने की तारीख यानि 31.03.2011 से किए जाने और विलय किए गए इस एसईजेड इकाई से होने वाली आमदनी के संदर्भ में आयकर अधिनियम 1961 की धारा 10एए के तहत किसी प्रकार का आयकर छूट स्वीकार्य नहीं होगा, शर्त के अधीन है।

<u>08. प्लॉट सं. 21, सेक्टर– टेकजोन–IV, ग्रेटर नोएडा (यू.पी.) स्थित मेसर्स अर्थ इंफ्राटेक प्रा. लिमि. के आईटी/आईटीईएस एसईजेड समेत इलेक्ट्रॉनिक हार्डवेयर एवं सॉफ्टवेयर में स्थित इकाई के क्षेत्र में विस्तार एवं अनुमानों में संशोधन हेतु मेसर्स आर सिस्टम्स इंटरनेशनल लिमिटेड का प्रस्ताव</u>

अनुमोदन समिति के संज्ञान में लाया गया था कि प्लॉट सं. 21, सेक्टर– टेकजोन– IV, ग्रेटर नोएडा (यू.पी.) स्थित मेसर्स अर्थ इंफ्राटेक प्रा. लिमि. के आईटी/आईटीईएस एसईजेड समेत इलेक्ट्रॉनिक हार्डवेयर एवं सॉफ्टवेयर में स्थित इकाई के क्षेत्र में विस्तार एवं अनुमानों में संशोधन हेतु मेसर्स आर सिस्टम्स इंटरनेशनल लिमिटेड ने आवेदन किया है। समिति को बताया गया था कि वर्तमान में इकाई टावर सं. 2 के भूतल पर 15000 वर्गफुट के क्षेत्र पर संचालन कर रही है और इकाई ने एसईजेड के टावर सं. 1 के प्रथम तल पर अतिरिक्त 28105 वर्गफुट क्षेत्र हेतु अनुरोध किया है। यह भी सूचित किया गया था कि सह– विकासकर्ता मेसर्स ट्रूस्टोन वेगमैन्स डेवलपर्स प्रा. लिमि. ने इकाई को प्रस्तावित अतिरिक्त स्थान आवंटित करने का अनंतिम प्रस्ताव दिया है। हालांकि, यह भी जानकारी दी गई थी की सह–विकासकर्ता को टावर–01 के लिए अधियोग प्रमाणपत्र मिलना बाकी है।

8.1. यह भी बताया गया था कि इकाई ने संशोधित अनुमान प्रस्तुत किया है, जैसा कि नीचे दिया गया है, इकाई के प्रस्तावित विस्तार के लिएः–

(लाख रु. में)

विवरण (पांच वर्षों के लिए)	वर्तमान अनुमान	संशोधित अनुमान
निर्यात का अनुमानित एफओबी मान	21955.17	32949.39
विदेशी मुद्रा व्यय	2732,01	5151.22
एनएफई	19223.16	27798.17
आयातित सीजी	571.85	1397,66
स्वदेशी सीजी	233.56	233.56

8.2. इकाई की तरफ से सीएफओ श्री नंद सरदाना, एवीपी श्री कुमार गौरव और हेड– एडमिन ब्रिगे. वी. के. चोना अनुमोदन समिति के समक्ष प्रस्तुत हुए और प्रस्ताव के बारे में जानकारी दी। इसके अलावा एसईजेड विकासकर्ता की तरफ से सीएमडी श्री एस.के. गुप्ता, निदेशक श्री सुदीप गुप्ता और वरिष्ठ प्रबंधक श्री राजीव बघेल भी अनुमोदन समिति के समक्ष प्रस्तुत हुए। एसईजेड विकासकर्ता के प्रतिनिधि ने बताया कि टावर सं. 01 के संदर्भ में अधियोग प्रमाणपत्र एक सप्ताह के भीतर मिल जाने की संभावना है।

8.3 पर्याप्त चर्चाओं के बाद, अनुमोदन समिति ने क्षेत्र के प्रस्तावित विस्तार एवं इकाई के संशोधित अनुमानों को मंजूरी दे दी जो इस शर्त के अधीन है कि टावर सं. 01 के लिए एसईजेड विकासकर्ता को अधियोग प्रमाणपत्र मिल जाने के बाद ही यह इकाई टावर सं. 01 के प्रथम तल पर काम करना शुरु कर सकती है।

<u>09. 66 बी, उद्योग विहार, ग्रेटर नोएडा (यू.पी.) स्थित मेसर्स मोज़र बेयर इंडिया लिमिट के गैर–परम्परागत ऊर्जा क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड में स्थित इकाई मेसर्स मोज़र बेयर सोलर लिमि. (इकाई–II)– पांच वर्षों के अनुमानों के अनुमोदन हेतु प्रस्ताव</u>

यह सूचित किया गया था कि 07.09.2018 को आयोजित बैठक में अनुमोदन समिति ने ग्रेटर नोएडा (यूपी) स्थित मेसर्स मोज़र बेयर इंडिया लिमि. एसईजेड में स्थित एक इकाई मेसर्स मोज़र बेयर सोलर लिमि. (इकाई–II) के एलओए की वैधता 08.09.2021 तक बढ़ा दी है। यह सूचित किया गया था कि इस मंजूरी की जानकारी दिनांक 19.09.2018 को लिखे कार्यालय पत्र के माध्यम से इकाई को दे दी गई है। इसके अलावा, यह भी सूचित किया गया था कि इकाई ने दिनांक 19.09.2018 को लिखे अपने पत्र के माध्यम से पांच वर्षों का अनुमान प्रस्तुत किया था जो इस प्रकार हैः

(लाख रु. में)

निर्यात का एफओबी मान	29379.35
विदेशी मुद्रा व्यय	13073.54
एनएफई	16305.81
आयातित सी.जी.	1428.5
स्वदेशी सी.जी.	शून्य
आयातित कच्चा माल, सामग्रिया, उपभोग्य आदि	11635.04
स्वदेशी कच्चा माल	शून्य

9.1 पर्याप्त चर्चा करने के बाद, अनुमोदन समिति ने इकाई द्वारा प्रस्तुत किए गए उपरोक्त अनुमानों को संज्ञान में लिया।

अध्यक्ष को धन्यवाद देने के साथ बैठक समाप्त हुई।

(एस.एस. शुक्ला) — संयुक्त विकास आयुक्त

(डॉ. एल.बी. सिंघल) — विकास आयुक्त